[18/12/2019] परिशिष्ट-अ

प्रश्न सं. [क. 238]

कार्यालय असि.रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं ,भोपाल नर्मदापुरम संभाग
डी. ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल

भोपाल दिनांक 22-11-2019

कमांक/34325/2452/19

//आदेश//

पंचायत समन्वय अधिकारी संघ, मकान क डी/37 बागसेवनिया वर्फानी धाम बागमुगालिया भोपाल पंजीयन
कमांक 01/01/01/34325/18 दिनांक 27/08/2018 पर पंजीयत संस्था है जिस पर मध्यप्रदेश सोसायटी
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एवं संशोधित नियम 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है।

पंचायत समन्वय अधिकारी संघ, सीहोरा जिला जबलपुर पंजीयन कमांक 11101/09 दिनांक दिनांक 03.06.
2009 पर पंजीयत संघ द्वारा रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के समक्ष मध्यप्रदेश सोसायटी
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 40 के अधीन इस कार्यालय में पंजीयन कमांक 01/01/01/34325/18
दिनांक 27.08.2018 पर पंजीयत पंचायत समन्वय अधिकारी संघ के नाम से उक्त अधिनियम की धारा 6 (2) (क) के
विद्मान प्रावधानों के विपरीत पंजीयन किये जानें संबंधी अपील प्रस्तुत की गई थी।

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपील का निराकरण कर अधिनियम की धारा 11 मे
प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुएं नियमानुसार पंचायत समन्वय अधिकारी संघ पंजीयन कमांक 34325 दिनांक
27/08/2018 के नाम में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिनांक 03/08/2019
पारित किये गये थे।

उपरोक्त आदेशो के परिपालन में पंचायत समन्वय अधिकारी संघ मकान क.डी/37 बागसेवनिया वर्फानी
धाम बागमुगालिया भोपाल पंजीयन कमांक 34325 दिनांक 27/08/2018 को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1973 की धारा 11 तहत रजिस्टर्ड पत्र कमांक 34325/1954/19 दिनांक 15/10/2019 जारी कर
लेख किया कि "सोसायटी के ज्ञापन या विनियमों आदि को संशोधित करनें की रजिस्ट्रार की शक्ति (1) इस
अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि रजिस्ट्रार यह समझे की
किसी सोसायटी के प्रतिष्ठान-ज्ञापन या विनियम या उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना उस सोसायटी के हित
में आवश्यक या वांछनीय है तो वह लिखित आदेश द्वारा, जिसकी तामिली उस सोसायटी के हित में आवश्यक या
वांछनीय है तो वह लिखित आदेश द्वारा, जिसकी तामिली उस सोसायटी पर विहित रीति से की जायेगी, उस
सोसायटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसें समय के भीतर, जो कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, वह
उस संशोधन करें। (2) यदि वह सोसायटी उस समय के भीतर जो कि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपने
आदेश मे विनिर्दिष्ट किया गया हो, कोई ऐसा संशोधन करनें से चूक जाये, तो रजिस्ट्रार उस सोसायटी को उसकी
आपत्तियां यदि कोई हो, कथित करनें का अवसर देनें के पश्चात्

(क) प्रतिष्ठान–ज्ञापन या विनियमों के ऐसे संशोधन को रजिस्टर में दर्ज कर और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि उस सोसायटी को भेजेगा, या

(ख) उपविधियों में ऐसा संशोधन करेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि उस सोसायटी को भेजेगा, और तदुपरि प्रतिष्ठान ज्ञापन या विनयमों या उपविधियों का ऐसा संशोधन उस सोसायटी तथा उसके सदस्यों को आबद्धकर होगा।"

उपरोक्त प्रावधान के परिपालन में संस्था के पंजीयत नाम में परिवर्तन हेतु पत्र प्राप्ति से 15 दिवस की अवधि में नियमानुसार विहित शुल्क सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा 11 उपरोक्तनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था के नाम में परिवर्तन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर दी जावेगी।

संस्था की ओर उपरोक्त के परिपालन में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव/उत्तर, दी गई समय सीमा में प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अधिनियम की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ "पंचायत समन्वय अधिकारी संध" पंजीयन कमांक 01/01/01/34325/18 दिनांक 27/08/2018 का नाम परिवर्तन कर "बागसेवनिया बर्फानी धाम बागमुगालिया अधिकारी संध" किया जाता है।

असि.रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल
भोपाल दिनांक 2-8-11-20

पृ.कमांक/34325/2452/19

प्रतिलिपिः–

1– अध्यक्ष/सचिव बागसेवनिया बर्फानी धाम बागमुगालिया अधिकारी संघ, मकान क डी/37 बागसेवनिया बर्फानी धाम बागमुगालिया भोपाल की संशोधित प्रमाण पत्र एवं विधान की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।

2– श्रीमती रशिका श्रीवास्तव बिजनिश एनालिस्ट एम पी आनलाईन तीसरा माला स्टेट आई टी पार्क अव्वार नगर नियर, आरजीपीवी, गांधी नगर भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया संस्था के नाम में संशोधन की प्रविष्टि आॅन कर अवगत करावे।

असिरजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल.